

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-द्वितीय, उदयपुर

वाणिज्यिक/आवासीय आवास/ भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार उदयपुर वृत्त में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवासीय प्लेट/आवासीय भूखण्डों/व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है-

कॉलोनी का नाम		निविदा प्राप्त अधिकारी का पता		निविदा प्राप्त करने की दिनांक		निविदा खोलने की दिनांक एवं समय			
गोविन्द नगर, राजसमन्द, द्वारकानगर राजसमंद, सुखाडिया नगर, राजसमंद		परियोजना अभियन्ता (वरि.) राजस्थान आवासन मण्डल, राजसमन्द (राज.)		15.06.2015 से 22.06.2015 सांय 5.00 बजे तक		23.06.2015 दोपहर 3.00 बजे			
क्र.सं.	भूखण्ड/आवास सं.	भूखण्ड/आवास का नाप/क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रवर्गमी) / प्रति आवास	धरोहर राशि (रु. में)	मुहरबन्द प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप				
गोविन्द नगर, राजसमन्द (आवासीय भू-खण्ड)					<p>निविदादाता का नामश्रेणी - सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति.....</p> <p>(प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)</p> <p>पत्र व्यवहार का पता</p> <p>स्थायी पता</p> <p>दूरभाषमो.नं.</p> <p>आवासीय/वाणिज्यिक आवास/भूखण्ड सं.(जिसके लिये मुहरबंद निविदा प्रेषित की जा रही है)</p> <p>योजना का नाम:-</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर (भूखण्ड की स्थिति में दर प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दर भरें एवं निर्मित आवास की स्थिति में प्रति आवास के हिसाब से दर भरें)</p> <p>संलग्न राशि रु. बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक बैंक का नामपैन नं.</p> <p>हस्ताक्षर निविदादाता</p> <p>लिफाफे का प्रारूप</p> <p>भूखण्ड/आवास संख्या योजना/सेक्टर का नाम</p> <p>निविदादाता का नाम स्थायी पता</p> <p>दूरभाष/मोबाईल नं.</p>				
1	M-25 (A)	40.49	6000.00	24294.00					
2	M-25 (B)	40.49	6000.00	24294.00					
द्वारकानगर नगर, राजसमन्द (आवासीय भू-खण्ड)									
1	F-13	97.50	7500.00	73125.00	<p>गोविन्द नगर, राजसमन्द (व्यावसायिक भू-खण्ड)</p>				
2	A-01	189.00	8500.00	160650.00					
सुखाडिया नगर, नाथद्वारा (आवासीय प्लेट)									
1	S-37	9.00	38000.00	34200.00					
1	G-04 (FF)	84.00	2100000.00	210000.00	2	S-38	9.00	38000.00	34200.00
3	I-02 (FF)	84.00	2900000.00	290000.00	3	S-39	9.00	38000.00	34200.00
4	I-03 (SF)	63.00	2700000.00	270000.00	4	S-40	9.00	38000.00	34200.00
5	J-03 (SF)	63.00	2700000.00	270000.00	6	S-42	9.00	38000.00	34200.00
					7	S-43	9.00	38000.00	34200.00
					8	S-47	9.00	38000.00	34200.00

1. किसी भी मुहरबंद प्रस्ताव/ प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड/ आवास हेतु मुहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी। 4. अमानत राशि ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जायेगी जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर" के पक्ष में देय होंगे। 5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। 6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जायेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी। 7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं करता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियम के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी। 8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं करता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद मृतकली प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी। 9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति अपनी विचारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 10. मुहरबंद निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, समिति द्वारा नौके पर उपस्थिति उन निविदा दाताओं से उसी दिन बंद लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जायेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जायेगा। 11. यदि किसी कंपनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी कंपनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/ कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12. निर्मित आवास जहां है, जैसे हैं की स्थिति में ही नीलाम किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 13. नीलामी स्वीकृत/ अस्वीकृत करना मण्डल के अधिकार क्षेत्र में है। 14. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे। मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in